अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	AMBIT Finvest Pragati ke partner
उचित व्यवहार संहिता	

दस्तावेज़ नियंत्रण

वस्तु	विवरण
दस्तावेज़ का शीर्षक	उचित व्यवहार संहिता
दस्तावेज़ स्वामी	श्री वसीम खान
दस्तावेज़ वर्गीकरण	नियामक

दस्तावेज़ संशोधन रिकॉर्ड (परिवर्तन इतिहास - निर्मित/समीक्षित)

संस्करण	दस्तावेज़ इतिहास	नाम (द्वारा)	तारीख	विवरण परिवर्तन की / टिप्पणी	नियामक संदर्भ
1.0	बनाया था	-	16.05.2019	प्रयोज्यता नीति का	आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/45 मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर। पी.डी. 008/03.10.119/2016-17
2.0	समीक्षित	-	24.06.2020 (तख़्ता बैठक)	वार्षिक समीक्षा	-
3.0	समीक्षित	-	11.06.2021	वार्षिक समीक्षा	-
4.0	समीक्षित	अनुपालन	11.02.2022	नियामक परिवर्तन	संदर्भ। सीईपीडी. पीआरडी. क्रमांक S873/13.01.001/2021-22
5.0	समीक्षित	अनुपालन	08.08.2022	वार्षिक समीक्षा	-
6.0	समीक्षित	अनुपालन	04.08.2023	वार्षिक समीक्षा	-

दस्तावेज़ अनुमोदन इतिहास (समीक्षित और स्वीकृत)

संस्करण	नाम	समीक्षा/अनुमोदन	तारीख
1.0	तख़्ता	अनुमोदन	मई 2019
2.0	तख़्ता	अनुमोदन	जून 2020
3.0	तख़्ता	समीक्षा करें और स्वीकृत करें	जून 2021
4.0	तख़्ता	समीक्षा करें और स्वीकृत करें	फरवरी 2022
5.0	आरएमसी और बोर्ड की बैठक	समीक्षा करें और स्वीकृत करें	अगस्त 2022
6.0	आरएमसी और बोर्ड की बैठक	समीक्षा करें और स्वीकृत करें	अगस्त 2023

अंतर्वस्तु

1। पृष्ठभूमि:..... 3
2. संहिता का उद्देश्य: 3
3. उचित व्यवहार संहिता की प्रयोज्यता: 3
4. प्रकटीकरण: 7
5. समीक्षा एवं संशोधन..... 7

1। पृष्ठभूमि:

एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद इसे 'द' के रूप में जाना जाएगा)**एएफपीएल'/'कंपनी**') कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली या होल्डिंग गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ("एनबीएफसी-एनडीएसआई") है। कंपनी 01 सितंबर, 2018 से "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण" गैर-जमा स्वीकार करने वाली या धारण करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है।

कंपनी एंबिट प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे उनके ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष व्यवसाय और कॉर्पोरेट प्रथाओं के लिए मानक स्थापित किए जा सकें। मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 ("निर्देश") और सभी लागू एनबीएफसी को उल्लिखित दिशानिर्देशों के आधार पर उचित व्यवहार संहिता लागू करने की आवश्यकता है। उक्त दिशा में.

आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में और व्यवसाय की प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी की ऋण गतिविधियों के लिए सभी ऋण उत्पादों के लिए लागू निम्नलिखित उचित अभ्यास संहिता (कोड) को अपनाने का प्रस्ताव है।

2. संहिता का उद्देश्य:

संहिता का मुख्य उद्देश्य-

क) ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और न्यूनतम मानक स्थापित करके अच्छे, निष्पक्ष और भरोसेमंद व्यवहार को बढ़ावा देना;
बी) ग्राहकों को उत्पाद की बेहतर समझ रखने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना;
ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों को लेनदेन की प्रतिबद्धता से पहले उनके विचार के लिए व्यापक तरीके से प्रदान किए गए उत्पादों/सेवाओं के नियमों और शर्तों की सलाह दी जाती है;
घ) प्रदान की गई सुविधा के नियमों और शर्तों के अनुरूप निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ग्राहक खातों की निगरानी और प्रशासन करना;
ई) वसूली और प्रवर्तन, जहां आवश्यक हो, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है।
एफ) निष्पक्ष प्रथाओं से संबंधित आरबीआई द्वारा निर्धारित लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. उचित व्यवहार संहिता की प्रयोज्यता:

I. ऋण के लिए आवेदन और उनका प्रसंस्करण:

ए) उधारकर्ता को ऋण आवेदन पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण को नियंत्रित करने वाली व्यापक विशेषताएं, नियम और शर्तें शामिल होंगी, जिसमें आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों सहित दस्तावेजों की प्राथमिक सूची का संकेत दिया जाएगा। कोई और

यदि आवश्यक हो तो ऋण आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचना उधारकर्ता को अलग से दी जाएगी।

बी) कंपनी का ऋण आवेदन आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करती है, ताकि अन्य एनबीएफसी द्वारा पेश किए गए नियमों और शर्तों के साथ एक सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता द्वारा सूचित निर्णय लिया जा सके।

सी) कंपनी संभावित उधारकर्ता को सभी ऋण आवेदनों के लिए एक पावती प्रदान करेगी। वह समय सीमा, जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा, पावती में दर्शाया जाएगा।

डी) उधारकर्ता के साथ सभी संचार अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में होंगे/उधारकर्ता द्वारा समझी और पुष्टि की गई भाषा में होगी।

द्वितीय. ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें-

ए) कंपनी कंपनी के जोखिम आधारित दृष्टिकोण और क्रेडिट नीतियों को ध्यान में रखते हुए ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करेगी।

बी) कंपनी उधारकर्ता को मंजूरी/स्वागत पत्र या एमआईटीसी (सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें) या अन्यथा, स्वीकृत ऋण की राशि के साथ-साथ अंग्रेजी या स्थानीय भाषा/उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखित रूप में बताएगी। ब्याज की वार्षिक दर और उसके आवेदन की विधि सहित नियम और शर्तें।

सी) उधारकर्ता द्वारा सूचित नियमों और शर्तों की स्वीकृति को कंपनी द्वारा अपने रिकॉर्ड पर संरक्षित किया जाएगा।

डी) कंपनी मंजूरी पत्र या स्वागत पत्र या अन्यथा ऋण समझौते में देर से भुगतान के लिए लगाए गए दंडात्मक ब्याज का उल्लेख मोटे अक्षरों में करेगी।

इ) कंपनी ऋण की मंजूरी/संवितरण के समय सभी ग्राहकों को ऋण समझौते में उद्धृत प्रत्येक संलग्नक की एक प्रति के साथ ऋण समझौते की एक प्रति प्रस्तुत करेगी।

तृतीय. नियम एवं शर्तों में बदलाव सहित ऋण वितरण-

ए) कंपनी संवितरण अनुसूची, ब्याज दरों, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में उधारकर्ता को अंग्रेजी या स्थानीय भाषा / उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नोटिस देगी। ब्याज दरों में परिवर्तन और शुल्क संभावित रूप से प्रभावी होंगे और इस संबंध में एक उपयुक्त शर्त ऋण समझौते में शामिल की जाएगी।

बी) समझौते के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वापस लेने/तेज करने का निर्णय ऋण समझौते के अनुरूप होगा।

सी) कंपनी सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली पर किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन सभी प्रतिभूतियों को जारी करेगी जो कंपनी उधारकर्ता के खिलाफ कर सकती है। यदि सेट-ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ सूचित किया जाएगा जिनके तहत कंपनी प्रासंगिक दावे के निपटान/ भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने की हकदार है।

चतुर्थ. संवितरण पश्चात पर्यवेक्षण-

ए) ऋण के भुगतान या प्रदर्शन को वापस लेने/तेजी से करने का कंपनी का निर्णय, यदि कोई हो, ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार होगा।

बी) कंपनी ऋण समझौते और/या अन्य संबंधित दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों के अधीन ऋण वापस लेने या भुगतान या प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए कहने से पहले उधारकर्ताओं को उचित समय देगी।

ग) कंपनी के पास पड़े संपार्श्विक को किसी भी वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार के अधीन ऋण की पूर्ण और अंतिम चुकौती की प्राप्ति पर उचित समय के भीतर जारी किया जा सकता है और कंपनी द्वारा उधारकर्ताओं के खिलाफ किए गए किसी भी अन्य दावे के लिए सेट किया जा सकता है। यदि सेट-ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ नोटिस दिया जाएगा जिनके तहत कंपनी संबंधित दावे के निपटान/भुगतान होने तक संपार्श्विक को बनाए रखने की हकदार है।

घ) ऐसे मामले में जहां उधारकर्ता ने जरूरत पड़ने पर स्वीकृत कुल राशि के भीतर उधारकर्ता को धन उधार लेने/आहरण करने की सुविधा का लाभ उठाया है, परिचालन सुविधा के लिए और संभावित चूक से ब्याज की रक्षा के लिए कंपनी द्वारा संपार्श्विक को बरकरार रखा जा सकता है। उधारकर्ता द्वारा और कंपनी की सहयोगी/समूह कंपनी/कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए।

V. डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर प्राप्त ऋण-

जहां भी कंपनी उधारकर्ताओं को स्रोत बनाने और/या बकाया वसूलने के लिए डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करती है या आउटसोर्सिंग करती है, कंपनी निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेगी:

ए) कंपनी की वेबसाइट पर एजेंटों के रूप में लगे डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों के नामों का खुलासा करना।

बी) एजेंटों के रूप में लगे डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों को ग्राहक के सामने उस कंपनी का नाम बताने का निर्देश दिया जाएगा, जिसकी ओर से वे उसके साथ बातचीत कर रहे हैं।

ग) ऋण समझौते की एक प्रति के साथ-साथ ऋण समझौते में उद्धृत सभी संलग्नकों की एक प्रति सभी उधारकर्ताओं को दी जाएगी।

घ) कंपनी द्वारा संलग्न डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों पर प्रभावी निगरानी और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

ई) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे।

VI. सामान्य प्रावधान-

ए) कंपनी ऋण समझौते के नियमों और शर्तों में दिए गए उद्देश्यों को छोड़कर अपने उधारकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करेगी।

बी) उधारकर्ता के खाते के हस्तांतरण के लिए उधारकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने के मामले में, सहमति या अन्यथा (कंपनी की आपत्ति), यदि कोई हो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। ऐसा स्थानांतरण उधारकर्ता के साथ किए गए पारदर्शी अनुबंध शर्तों के अनुसार और समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

सी) ऋणों की वसूली के मामले में, कंपनी केवल उन्हीं उपायों का सहारा लेगी जो कानूनी रूप से वैध हैं और अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे। कर्जदारों को विषम समय में लगातार परेशान करना, ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का प्रयोग करना आदि।

डी) कंपनी उत्पादों के वितरण में लिंग, जाति या धर्म के आधार पर, दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं में भाग लेने जैसी कानून के तहत अनुमति को छोड़कर सेवाएं, सुविधाएं आदि।

इ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी ग्राहकों के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

एफ) कंपनी सह-बाध्यकारी के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फौजदारी शुल्क / पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं लगाएगी।

सातवीं. गोपनीयता-

क) जब तक ग्राहक द्वारा अधिकृत न किया जाए, कंपनी अपने ग्राहकों की सभी व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय मानेगी।

बी) कंपनी निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर समूह के भीतर किसी भी अन्य इकाई को उधारकर्ताओं के लेनदेन विवरण का खुलासा नहीं कर सकती है:

- कंपनी का कर्तव्य है कि वह वैधानिक निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सीआईबीआईएल आदि जैसी क्रेडिट सूचना कंपनियों, आरबीआई और अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों, किसी अन्य राज्य, केंद्र या किसी अन्य नियामक को जानकारी सहित वैधानिक या नियामक कानूनों के अनुसार जानकारी प्रदान करे। निकाय, जिसमें अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय और न्यायाधिकरण शामिल हैं।
- ग्राहक ने ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनी को लिखित रूप से अधिकृत किया है।
- यदि ऐसी ग्राहक जानकारी का खुलासा करना सार्वजनिक हित में है।
- यदि इसके हित के लिए हमें यह जानकारी प्रदान करना आवश्यक है (उदाहरण के लिए धोखाधड़ी की रोकथाम)।
- यदि उधारकर्ता कंपनी के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने में चूक करता है।

आठवीं. ब्याज दर-

क) कंपनी के पास अलग ब्याज दर नीति होगी लेकिन किसी भी मामले में, यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दरें नहीं वसूलेगी।

बी) कंपनी अपने ग्राहकों के लिए ब्याज दर का निर्धारण ग्राहक के जोखिम प्रोफ़ाइल, मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दर के रुझान, धन की लागत, ग्राहक द्वारा दी जाने वाली संपार्श्विक सुरक्षा/सौदे की संरचना जैसे व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखकर करेगी। और प्रतिस्पर्धियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर।

ग) ब्याज दरें वार्षिक आधार पर होंगी और मंजूरी/स्वागत पत्र या एमआईटीसी या अन्यथा पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित की जाएंगी।

घ) अधिसूचना संख्या के अनुसार। डीएनबीएस.204/सीजीएम (एएसआर)-2009 दिनांक 2 जनवरी 2009, एनबीएफसी द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक ब्याज के नियमन के संबंध में, कंपनी ने फंड की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर नीति अपनाई है। ऋणों और अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर निर्धारित करना। ब्याज दर नीति में ब्याज की दर और जोखिम के वर्गीकरण के दृष्टिकोण और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य को भी शामिल किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है। जब भी ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा तो वेबसाइट पर प्रकाशित या अन्यथा प्रकाशित जानकारी को अपडेट किया जाएगा।

नौवीं. निदेशक मंडल की जिम्मेदारी-

कंपनी के निदेशक मंडल ने संगठन के भीतर एक विशिष्ट शिकायत निवारण नीति के माध्यम से उचित शिकायत निवारण तंत्र अपनाया है। ऐसा तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण देने वाली संस्थाओं के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद '

पदाधिकारियों, क्रेडिट जानकारी के अद्यतन/परिवर्तन से संबंधित शिकायतों और आउटसोर्स सेवाओं से संबंधित शिकायतों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाता है। निदेशक मंडल को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की समेकित आवधिक समीक्षा प्रदान की जाएगी।

4. खुलासे:

'पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में**उचित आचरण संहिता**', कंपनी उचित व्यवहार संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर अंग्रेजी में और कंपनी की सभी शाखाओं में अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में प्रकाशित और प्रसारित करेगी, और कोई भी उधारकर्ता या ग्राहक जो इसे प्राप्त करना चाहता है। कंपनी से इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध करें।

5. समीक्षा एवं संशोधन:

किसी भी बदलाव के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन किया जाएगा।

"यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्टीकरण, परिपत्र या दिशानिर्देश या किसी अन्य नाम से कोई संशोधन जारी किया जाता है, जो इस संहिता के तहत निर्धारित वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकता है, तो ऐसे संशोधन / स्पष्टीकरण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। आरबीआई संचार में निहित प्रावधानों पर लागू होता है और इसे आरबीआई विज्ञप्ति के तहत निर्धारित तिथि से प्रभावी ढंग से संशोधित किया जाएगा।